बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषयः– लोकायुक्त की अनुशंसा के आलोक में अनुसरणात्मक कार्रवाई के संबंध में।

राज्य सरकार के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन था कि लोकायुक्त की अनुशंसा के आलोक में किसी सरकारी सेवक को दण्डित करने के पूर्व विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता होती है या नहीं। साथ ही, यदि विभागीय कार्यवाही की जाती है तो आरोपित पदाधिकारी के सेवानिवृत्त हो जाने के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत निर्धारित चार वर्ष के अन्दर कार्रवाई की शर्त्त ऐसे मामलों में लागू होती है अथवा नहीं।

2. लोकायुक्त की अनुशंसा, जिसमें बहुधा दिया जानेवाला दण्ड भी उल्लेखित रहता है, के बाद विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता के संदर्भ में विधि विभाग/विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श लिया गया है। विद्वान महाधिवक्ता/विधि विभाग द्वारा निम्नांकित परामर्श दिया गया है:–

"The main purpose of the Lokayukta under the Bihar Lokayukta Act, 1973 is to carry out investigation against public servant and make its recommendation for action to be taken by the State Govt. against the individual public servant. In case the Lokayukta, after investigation of the complaint finds that public servant has committed any act of indiscipline or other such acts which makes him liable for being punished, it shall forward its recommendation to the competent authority for action to be taken.

Under Section 5 A of Bihar Lokayukta Act as inserted by Act 13 of 1988, in case the Lokayukta recommends imposition of penalty of removal from office of public servant falling within section 2 (j) (IV) of the Act, the Govt. may take action for removal of such public servant without any further enquiry. Thus the removal of only those public servants who are covered by section 2 (j) (IV) can be made without any further enquiry; but Section 2 (j) (IV) is confined to a particular type of public servants who are as follows-

"Every head or his Deputy by whatever designation he may be known, of the local authority, the corporation, the Government Company or a registered society

referred to in sub-clause (iii) or any other institution or authority, subsidised by the State Government."

So far as other public servants (those not covered by section 2 (j) (iv) of the Lokayukta Act) are concerned they cannot be removed or their services terminated without following the due procedure prescribed for their punishment. A government servant therefore cannot be removed or dismissed from service without charges framed, enquiry conducted and punishment awarded in accordance with rules prescribed with regard to their service."

3. उपर्युक्त परामर्श के आलोक में विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया गया है कि –

(i) लोकायुक्त की अनुशंसा के आलोक में पद से हटाने की सीधी कार्रवाई धारा 2 (j) (iv) से संबंधित मामलों में ही की जा सकती है।

(ii) सरकारी सेवकों के संदर्भ में लोकायुक्त की अनुशंसा के अनुसरण में भारत संविधान के अनुच्छेद 311 तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निर्धारित लघु दण्ड एवं वृहत दण्ड के लिए विहित प्रक्रिया का पालन किया जाना अपेक्षित होता है। अतः लोकायुक्त की अनुशंसा के अनुसरण में लघु दंड देने की स्थिति हो या वृहत दंड देने की स्थिति, दोनों ही स्थितियों में, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

(iii) लोकायुक्त के जाँचाधीन किन्तु सेवानिवृत्ति के मामलों में चूँकि लोकायुक्त के स्तर पर पूर्व में ही कार्रवाई शुरु कर दी गई होती है, अतः बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अन्तर्गत निर्धारित चार साल की शर्त्त लागू नहीं होगी। इस संबंध में इस विभाग के पत्रांक-3448 दिनांक 02.12.2006 के तहत स्पष्ट किया जा चुका है कि 4 वर्ष की गणना उस तिथि से की जायेगी जब विभाग को संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप की जानकारी

होती है। अतः लोकायुक्त के जाँचाधीन मामलों में 4 साल की शर्त्त लागू नहीं होगी।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या- 3/एम0- 192/2006 का0- 3406 पटना, दिनांक 8-10-07

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या- 3/एम0- 192/2006 का0- 3406 पटना, दिनांक 8/10/07

प्रतिलिपि- सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिलाधिकारी/ लोकायुक्त के सचिव/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/ महानिदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र, वाल्मी, पटना/ राज्य अभिलेखागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(आमिर सुबहानी) 5.10
सरकार के सचिव।